69 वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न

डूंगरपुर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, करवा खास में आयोजित 69 वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सत्र-2०25-26 का चार दिवसीय भव्य समापन समारोह शुक्रवार को उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। 8 से 11 अक्टूबर तक चली इस प्रतियोगिता में 14 वर्ष आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं ने एथलेटिक्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए खेल भावना का अद्भुत परिचय दिया। समापन समारोह का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत एवं दीप प्रज्वलन से हुआ।

विद्यालय परिसर को रंगीन झंडों, फूलों व पोस्टरों से सुसज्जित किया गया था। खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर खेल भावना और अनुशासन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया।

विधायक उमेश डामोर ने बढाया खिलाडियों का हौसला समापन समारोह में आसपुर विधायक उमेश डामोर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और खिला?ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने अपने संबोधन में खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा किए। खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम हैं, बल्कि यह जीवन में टीम भावना, अनुशासन,आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना भी विकसित करते हैं। खिलाडियों को जीत-हार से ऊपर उठकर खेल भावना के साथ खेलना चाहिए,क्योंकि यही जीवन की असली जीत है। विधायक उमेश डामोर ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण अंचलों की प्रतिभा असीम है और सही मंच मिलने पर ये बच्चे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने सफल आयोजन के लिए विद्यालय परिवार और आयोजन समिति की मुक्त कंठ से सराहना की। स्वागत समारोह का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत और दीप प्रज्वलन से हुआ। विद्यालय परिसर को रंगीन झंडों, फूलों और पोस्टरों से आकर्षक रूप से सजाया गया था। खिला?ियों ने अनुशासन और खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए भव्य मार्च पास्ट किया। इस दौरान अतिथियों का ग्रामीण प्रतिनिधियों द्वारा तिलक, माल्यार्पण, पगडी और उर्पणा से पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में आसपुर विधायक उमेश डामोर,आसपुर बीसीसी प्रभारी हीरालाल हरमोर खरोडिया, देवापुरी मंडल अध्यक्ष धनजी भाई बुज, दिग्विजय सिंह चुण्डावत करेलिया, पंचायत समिति सदस्य मुकेश प्रजापत, अरजी भाई कोटवाल, राजकुमार खराडी, गमेती रतन भाई, गटू भाई, सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। ग्रामवासियों और विद्यालय परिवार का सराहनीय योगदान रहा,जिसमें विभिन्न विद्यालयों से आए प्रतिभागियों ने दौड, लंबी कूद, ऊँची कूद, गोला फेंक जैसे एथलेटिक्स खेलों के साथ-साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भी हिस्सा लिया।

कार्यशाला का आयोजन

बांसवाड़ा, (निसं)। लीयो कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग की ओर से एआईसीटीई स्टार्टअप स्किल कार्यक्रम के अंतर्गत स्किल्स फॉर बेटर लिविंग विषयक कार्यशाला हुई।

लीयो संस्थान के निदेशक मनीष त्रिवेदी बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कॉलेज के विद्यार्थियों को स्किन केयर रूटीन और हेयर केयर की व्यावसायिक तकनीकों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना था। एआईसीटीई के स्टार्टअप स्किल कार्यक्रम के तहत आयोजित यह कार्यशाला छात्रों के कौशल विकास पर केंद्रित थी। मुख्य प्रशिक्षक प्रीति शर्मा ने विद्यार्थियों को स्किन और हेयर केयर से जुडी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने नेचरल एंड होममेड रेमेडीज के बारे में चर्चा करते हुए कॉमन स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स के समाधान पर विशेष बल दिया। विद्यार्थियों ने इस सत्र में अत्यधिक सक्रियता दिखाई और विषय से संबंधित जिज्ञासाओं को प्रकट किया। कार्यशाला के दौरान छात्राओं ने असाधारण उत्साह प्रदर्शित किया। स्किन केयर रूटीन बनाने की तकनीकों, हेयर केयर के वैज्ञानिक तरीकों और प्राकृतिक उपचारों के प्रति उनकी गहरी रुचि देखने को मिली। कार्यशाला एआईसीटीई के शैक्षिणक निर्देशों के अनुरूप आयोजित की गई। आयोजन एवं संचालन गृह विज्ञान विभाग व्याख्याता रीना उपाध्याय के निर्देशन में हुआ।

अधेड़ की मौत

उदयुपर, (कासं)। कुराबड़ थाना क्षैत्र मेंआमने सामने दो बाईक की भिडंत में अधेड़ की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सांय जामरकोटड़ा थानाक्षैत्र मउडी जालों का गुडा रोड़ पर आमने सामने दो बाइक की भिडंत हो गई। हादसे में बाइक चालक उपली सदकडी सराड़ा थाना सेमारी निवासी शंकरलाल मीणा गंभीर घायल हो गया।

रंगरोगन के आदेश पर पुनर्विचार की मांग

डूंगरपुर, (निसं)। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने दीपावली बोनस की राशि में वृद्धि कर सम्पूर्ण राशि नकद देने एवं विद्यालय रंगरोगन के आदेश पर समय सीमा बढाने की मांग की है।

संगठन के जिलाध्यक्ष शंकरलाल कटारा, जिला मंत्री सुदर्शन सिंह चौहान एवं जिला उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रतिवर्ष राज्य कर्मचारियों को दिए जाने वाले दीपावली बोनस का वास्तविक उद्देश्य त्योंहार के अवसर पर आर्थिक सहयोग प्रदान करना होता है। जिससे वे अपने परिवार के साथ इस त्योंहार को हर्षोल्लास से मना सकें, लेकिन दीपावली त्योंहार में महज एक सप्ताह का समय शेष रहने के उपरांत अभी तक बोनस राशि की घोषणा नहीं की गई है। जिससे राज्य कर्मियों को समय पर बोनस राशि मिलने पर संदेह है। वहीं दूसरी और महंगाई के हिसाब से पिछले 9 वर्षों से बोनस राशि में बढोतरी भी नही की गई है। साथ ही बोनस राशि की 25 फीसदी राशि जीपीएफ में जमा कर दी जाती है। जिससे आम कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। संगठन का आग्रह है कि मंहगाई को देखते हुए बोनस राशि में वृद्धि कर कर्मचारियों को सम्पूर्ण बोनस राशि नकद देने की तत्काल घोषणा की जानी चाहिए। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.ऋषिन चौबीसा, मंडल उपाध्यक्ष देवीलाल पाटीदार एवं विभाग संगठन मंत्री प्रवीण जैन ने बताया कि वर्तमान में परिवीक्षाधीन कार्मिकों को दीपावली बोनस नहीं दिया जाता है, यह स्थिति सर्वथा अन्यायपूर्ण है क्योंकि पूर्ण वेतनमान न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर रहती है। परिवीक्षाधीन कार्मिकों को भी बोनस प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय द्वारा हाल ही में समस्त विद्यालयों में रंग-रोगन करने का विभागीय आदेश जारी किया गया है,लेकिन दीपावली के त्यौहार में महज एक सप्ताह का ही समय शेष है।इस आदेश पर पुनर्विचार किया जाना समाचीन है। संगठन के नवनीत भट्ट,कांता परमार, बलवंत बामणिया, दिनेश जैन सहित पदाधिकारियों ने मिड-डे-मील की कुकिंग कन्वर्जन राशि एवं कुक कम हेल्पर की तीन माह की बकाया राशि दीपावली अवकाश से पूर्व जमा करने की मांग की है।

मामला दर्ज

उदयपुर,10 अक्टूबर। हाथीपोल थाना पुलिस ने सीसी लिमिट के एवज में बिना बताए पीडित के भूखंड गिरवी रखने वाले बैंक मैनेजर व अन्य के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित विरेन्द्र पुत्र दलजीत भण्डारी निवासी भण्डारी कोल्ड हाउस प्रा.लि. बीएमआईए उदयपुर ने सिण्डिकेट बैंक मधुवन हाल केनरा बैंक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करावाया। जिसमें पीडित ने बताया कि बैंक से वर्ष 2009 में 45 लाख रूपये की सीसी लिमिट ली थी। इस दौरान कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी। वर्ष 2012 में सीसीलीमीट बढानें के लिए संपर्क किया। इस दौरान बैंक मैनेजर ने भूखंड संख्या 172 बी व 173 बी के दस्तावेज देखने के लिए मंगवाए थे। जिन्हें बैंक ने वापस नहीं लौटाए।

जीजीटीयू में बीएड पाठ्यक्रम में पहली बार सेमेस्टर प्रणाली लागू

बांसवाड़ा, (निसं)। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय ने शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए शिक्षा संकाय में पहली बार सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी है। यह परिवर्तन 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय इंटीठोटेड बीएड पाठ्यक्रमों में लागू होगा जिससे शिक्षण प्रशिक्षण में गुणवत्ता, निरंतर मूल्यांकन और व्यावहारिकता को बढ़ावा मिलेगा।

विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यशाला में बांसवाडा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ जिलों के 47 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं संचालक शामिल हुए। इस अवसर पर नई परीक्षा पद्धित और पाठ्यक्रम संरचना पर चर्चा की गई ताकि विद्यार्थी नई प्रणाली को सही ढंग से समझ सकें और उसके अनुरूप अपनी तैयारी कर सकें। कुलगुरु प्रो. केएस ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति एनईपी-2020 के तहत लागू की गई यह प्रणाली शिक्षक शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में बडा कदम है। यह बदलाव शिक्षार्थियों को सतत सीखने और आत्ममूल्यांकन के अवसर प्रदान करेगा। परीक्षा नियंत्रक प्रो. प्रमोद वैष्णव ने बताया कि 2 वर्षीय बीएड में अब 4 सेमेस्टर तथा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में 8 सेमेस्टर होंगे। दिसंबर माह में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। पावर पाइंट प्रस्तुति के माध्यम से पाठ्यक्रम संरचना, क्रेडिट प्रणाली, मूल्यांकन पद्धित और परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के हित में विश्वविद्यालय ने प्रत्येक सेमेस्टर के लिए विषयवार अधिगम परिणाम और आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया है, जिससे छात्र नयी प्रणाली को गहराई से समझ सकें और उसके अनुसार अपनी अध्ययन रणनीति विकसित कर सकें।

मन को विराट बनाने वाली शिक्षा हो : प्रो.दुबे

बांसवाड़ा, (निसं)। राजकीय कन्या महाविद्यालय में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में व्याख्यान का आयोजन प्राचार्या डॉ सरला पंड्या की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य वक्ता डॉ. सर्वजीत दुबे ने कहा कि आज अनेक प्रकार के मनोरोगी समाज को कहीं धर्म के आधार पर तो कहीं जाति के आधार पर बांटने के लिए तुले हुए हैं तो दूसरी तरफ दुराचार व भ्रष्टाचार समाज को दीमक की तरह चट करने पर तुले हुए हैं ऐसे में मन को ठीक शिक्षा नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पर जूते फेंकने जैसी घटना में भारी बढ़ोतरी हो सकती है।

जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

साइबर सुरक्षा के लिए जागरूकता जरुरी : सीआई सरोज बैरवा

राजसमन्द, (निसं)। बाल अधिकारों की महत्ता को समझाने व बाल अधिकारों,बाल श्रम,बाल यौन शोषण,साइबर अपराध की रोकथाम के प्रति सजग करने के उद्देश्य से आज बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक दीपेन्द्र सिंह शेखावत के निर्देशानुसार बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्प लाइन परियोजना द्वारा बाल विवाह,साइबर अपराध ,बाल अधिकारों पर राजकीय उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक बालिका विद्यालय रिछेड राजसमन्द में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया ।जिला समन्वयक गेहरी लाल गुर्जर द्वारा बाल अधिकारों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श की पहचान के बारे में जानकारी दी उन्होंने बच्चों को बताया कि यदि कोई अनजान व्यक्ति या परिवार का ही कोई सदस्य भी उनके साथ असुरक्षित स्पर्श करता है तो आप उसकी जानकारी भरोसेमंद व्यक्ति माता पिता ,अध्यापक को जरुर बताये ।

गिव-अप अभियान से वंचितों को मिला हक : सुमित गोदारा

उदयपुर, (कासं)। प्रदेश में अब तक 38 लाख 17 हजार 565 लाभार्थियों ने गिव-अप अभियान के तहत स्वेच्छा से योजना का त्याग किया है जिनकी संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। गिव-अप करने वालों में उदयपुर जिले के 1 लाख 29 हजार 622 लोग शामिल हैं, जिससे जिले की प्रदेश में 27वीं रैंक है। वहीं उदयपुर जिले में वर्तमान में 112 राशन दुकानें रिक्त हैं, जबकि पूरे प्रदेश में करीब 2,400 उचित मूल्य की दुकानें खाली हैं। इन सभी का आवंटन 31 अक्टूबर तक पूरा कर दिया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को और अधिक सहूलियत मिल सके।

यह बात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को उदयपुर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। मंत्री गोदारा ने बताया कि ई-केवाईसी न करवाने और गिव-अप करने वाले कुल 65 लाख लोगों के योजना से बाहर होने के बाद नए पात्र लोगों को मौका मिला। उदयपुर जिले में 1 लाख 96 हजार 248 नए पात्र लोगों को योजना से जोड़ा गया, जो पहले वंचित थे। फिलहाल जिले में केवल 1,620 आवेदन लंबित हैं, जिनका शीघ्र निस्तारण कर दिया जाएगा। मंत्री गोदारा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि आगामी त्यौहारों पर सक्षम लोग स्वेच्छा से गिव-अप करें ताकि वंचित पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुँच सके।

इससे पूर्व उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और विभागीय योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत जानकारी ली। बैठक में मंत्री ने एनएफएसए आवेदनों की वर्षवार प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि आमजन को आधार सीडिंग में आ रही समस्याओं को शीघ्र दूर किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना ई-केवायसी के नवंबर माह का गेहूं वितरित नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि विशेष परिस्थितियों में जिला कलेक्टर जरूरतमंद लोगों को एनएफएसए योजना से जोड़ सकते हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा विषयक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित

बांसवाड़ा, (निसं)। गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, परंपरा, विज्ञान और दर्शन की गहराई को समझने तथा उसमें निहित जीवन मूल्यों को आत्मसात करने के उद्देश्य से भारतीय ज्ञान परंपरा विषयक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं हिन्दी संकाय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। मुख्य अतिथि उपकुलसचिव प्रो. राजेश जोशी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत विशद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली है, जो केवल धर्म या आस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने की संतुलित पद्धित है। उन्होंने कहा कि वागड की भूमि सदैव परंपरा और प्रकृति के सम्मान की प्रतीक रही है। अत: हमें पारंपरिक कृषि ज्ञान और कौशल को आधुनिक तकनीक के साथ जोडने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

विशिष्ट अतिथि परीक्षा नियंत्रक प्रो. प्रमोद वैष्णव ने संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता और व्यावहारिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्कृत केवल धार्मिक अनुष्ठानों की भाषा नहीं, बल्कि गणित, रसायन, चिकित्सा और खगोल विज्ञान की जननी है। उन्होंने हिन्दी और संस्कृत भाषाओं के साम्य को सरल उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया।

भारतीय वनस्पति परंपरा: विज्ञान और संस्कृति का संगम

अकादमिक प्रभारी प्रो शफकत राना ने अपने विचारों में भारतीय परंपरा में निहित वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में पौधों को केवल पूजा या आस्था का प्रतीक नहीं माना गया, बल्कि जीवन और पर्यावरण के संरक्षण के अनिवार्य अंग के रूप में देखा गया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि तुलसी को ऑसीमम सैक्टम कहा जाता है जिसका अर्थ जीवन की रक्षा करने वाली देवी कहा गया है क्योंकि इसके पत्तों में रोगाणु रोधी, श्वसन तंत्र को सशक्त करने वाले और वायु को शुद्ध करने वाले गुण पाए जाते हैं।

कार्यालय नगर परिषद, राजसमंद
जिला-राजसमंद

क्रमांक : नपरा/राजस्व/2025-26/3785 दि. 8.10.2025

आपत्ति सूचना पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रतनलाल पिता श्री वरदीचन्द्र जी कुमावत निवासी पीपली आचार्यान तहसील व जिला-राजसमंद द्वारा पैतृक/ खरीदशुदा से प्राप्तशुदा आवासीय/ वाणिज्यिक पट्टेशुदा भूखण्ड/मकान जो राजस्व ग्राम-कांकरोली के आराजी नं. 5152 पट्टा नम्बर 349/96 दिनांक 18. .1989 भूखण्ड का क्षेत्रफल 3303.00 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। आवेदक द्वारा क्रय शुदा/प्राप्तशुदा उक्त भुखंड सं. 04 का क्षेत्रफल 200.00 वर्गफीट का उपविभाजन/एकीकरण/ नामांतरण चाही गई है जिसके पड़ौस निम्नानुसार है

पूर्व	10'0''	पड़ौस	रास्ता 20 फीट चौड़ा
पश्चिम	10'0''	पड़ौस	गली व बालकृष्ण स्टेडियम
उत्तर	20'0''	पड़ौस	दुकान नं. 06
दक्षिण	20'0''	पड़ौस	दुकान नं. 03

उपरोक्त आवेदित भूखण्ड/भवन का उपविभाजन/ एकीकरण/नामान्तरण जारी करने में यदि किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त
नगर परिषद, राजसमंद

कार्यालय नगर परिषद, राजसमंद
जिला-राजसमंद

क्रमांक : नपरा/राजस्व/2025-26/3779 दि. 8.10.2025

आपत्ति सूचना पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मंजु कोठारी पत्नी श्री वरदीचंद कोठारी निवासी शांति नगर कॉलोनी नई आबादी कांकरोली तहसील व जिला-राजसमंद द्वारा पैतृक/ खरीदशुदा से प्राप्तशुदा आवासीय/ वाणिज्यिक पट्टेशुदा भूखण्ड/मकान जो राजस्व ग्राम-कांकरोली के आराजी नं. 5152 पट्टा नम्बर 349/96 दिनांक 18. .1989 भूखण्ड का क्षेत्रफल 3303.00 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। आवेदक द्वारा क्रय शुदा/प्राप्तशुदा उक्त भुखंड सं. 08 का क्षेत्रफल 200.00 वर्गफीट का उपविभाजन/एकीकरण/ नामांतरण चाही गई है जिसके पड़ौस निम्नानुसार है

पूर्व	10'0''	पड़ौस	रास्ता 20 फीट चौड़ा
पश्चिम	10'0''	पड़ौस	गली
उत्तर	20'0''	पड़ौस	रोशनलालजी की दुकान
दक्षिण	20'0''	पड़ौस	प्रकाश देवी की दुकान

उपरोक्त आवेदित भूखण्ड/भवन का उपविभाजन/ एकीकरण/नामान्तरण जारी करने में यदि किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त
नगर परिषद, राजसमंद

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.7( )B.PLAN/MISC/2025-26/1610 **आम सूचना** दिनांक : 9/10/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 14-10-2024 को विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) हेतु जारी अधिसूचना एवं इसकी निरन्तरता मे समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों/अधिसूचनाओं आदि की अनुपालना मे निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम/ योजना	खसरा संख्या /ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड / भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1	श्री मनीष दौलत भाई मिस्त्री पिता श्री दौलत भाई मोतीलाल मिस्त्री	बेडवास	970 से 979, 982, 983, 986, 1011 से 1017, 109 से 1033, 1039 से 1040, 1087 से 1115, 1117 से 1124, 3433/1117	संयुक्तिकृत भूखण्ड - 86 (दक्षिण भाग) + 86 (उत्तरी भाग)	2800.00 वर्गफीट	माउण्ट व्यू स्कुल से मेघा आवास योजना को जाने वाली 100 फीट सड़क पर लॉटस इंटिरियर्स के समीप स्थित है।	आवासीय उपयोग से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 01-10-2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार शहरी सेवा शिविर - 2025 के दौरान आवेदनों में 15 दिवस के स्थान पर 07 दिवस की आपत्ति सूचना प्रकाशित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है। अत: उपरोक्त अधिसूचनाओं के कम में आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र के उदयपुर संस्करण में पठनीय करवाया जायें। उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 07 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)

Email: np_ntd@yahoo.in, nagarpalikanathdwara@gmail.com Phone:- 02953-233526

क्रमांक /न.पा.नाथ./तामीर/25/12732 दिनांक 07.10.25

- : आपत्तीय-सूचना :-

एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्ति द्वारा स्वायत्त शासन विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर निम्नांकित भूखण्ड पर भवन-निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन में वर्णित सम्पत्ति के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो सूचना प्रकाशन के सात दिवस में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी :-

क्र. सं.	नाम आवेदक मय पता	आवेदित सम्पत्तिका विवरण	पड़ौस			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	श्रीमती रेखा जैन पत्नी श्री संजय कुमार सिंघवी, व अन्य निवासी नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	चिकित्सालय के पास, लालबाग भू.सं.-15, क्षै.-3119 वर्गफिट	30 फिट रोड	अन्य भूमि	अन्य भूमि व 30 फिट रोड	60 फिट रोड

आयुक्त, नगपालिका नाथद्वारा

प्रारूप 10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगरपरिषद राजसमन्द

क्रमांक- 3796 **लोक सूचना** दिनांक 09/10/2025

श्री दत्तात्रेय शिक्षा समिति जरिये श्रीमती रत्ना गोस्वामी पत्नी श्री हंसराज गोस्वामी निवासी डी-7 कालिंदी विहार स्टेशन रोड़ कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात -

क्र. सं.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
1	राजसमन्द	भावा	881/3	रकबा 0.1619 हैक्टेयर
			2018/8	रकबा 0.3642 हैक्टेयर
			882/8	रकबा 0.1416 हैक्टेयर
			1995/882	रकबा 0.0890 हैक्टेयर
			882/1	रकबा 0.1093 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप हैं तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 09.10.2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगरपरिषद, राजसमन्द

कार्यालय नगर परिषद, राजसमंद
जिला-राजसमंद

क्रमांक : नपरा/राजस्व/2025-26/3782 दि. 8.10.2025

आपत्ति सूचना पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री देवीलाल पिता श्री छगनलालजी कुमावत निवासी धोइंदा जिला-राजसमंद द्वारा पैतृक/ खरीदशुदा से प्राप्तशुदा आवासीय/ वाणिज्यिक पट्टेशुदा भूखण्ड/मकान जो राजस्व ग्राम-कांकरोली के आराजी नं. 5152 पट्टा नम्बर 349/96 दिनांक 18. .1996 भूखण्ड का क्षेत्रफल 3303.00 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। आवेदक द्वारा क्रय शुदा/प्राप्तशुदा उक्त भुखंड सं. 06 का क्षेत्रफल 200.00 वर्गफीट का उपविभाजन/एकीकरण/ नामांतरण चाही गई है जिसके पड़ौस निम्नानुसार है

पूर्व	10'0''	पड़ौस	रास्ता 20 फीट चौड़ा
पश्चिम	10'0''	पड़ौस	गली व बालकृष्ण स्टेडियम
उत्तर	20'0''	पड़ौस	दुकान नं. 07
दक्षिण	20'0''	पड़ौस	दुकान नं. 05

उपरोक्त आवेदित भूखण्ड/भवन का उपविभाजन/ एकीकरण/नामान्तरण जारी करने में यदि किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त
नगर परिषद, राजसमंद

कार्यालय नगर परिषद, राजसमंद
जिला-राजसमंद

क्रमांक : नपरा/राजस्व/2025-26/3789 दि. 8.10.2025

आपत्ति सूचना पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री मगनीरामजी निवासी धोइंदा तहसील व जिला-राजसमंद द्वारा पैतृक/ खरीदशुदा से प्राप्तशुदा आवासीय/ वाणिज्यिक पट्टेशुदा भूखण्ड/मकान जो राजस्व ग्राम-कांकरोली के आराजी नं. 5152 पट्टा नम्बर 349/96 दिनांक 18. .1989 भूखण्ड का क्षेत्रफल 3303.00 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। आवेदक द्वारा क्रय शुदा/प्राप्तशुदा उक्त भुखंड सं. 07 का क्षेत्रफल 200.00 वर्गफीट का उपविभाजन/एकीकरण/ नामांतरण चाही गई है जिसके पड़ौस निम्नानुसार है

पूर्व	10'0''	पड़ौस	रास्ता 20 फीट चौड़ा
पश्चिम	10'0''	पड़ौस	गली व बालकृष्ण स्टेडियम
उत्तर	20'0''	पड़ौस	दुकान नं. 08
दक्षिण	20'0''	पड़ौस	दुकान नं. 07

उपरोक्त आवेदित भूखण्ड/भवन का उपविभाजन/ एकीकरण/नामान्तरण जारी करने में यदि किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त
नगर परिषद, राजसमंद

DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION
Maharana Pratap University of Agriculture & Technology
Outside Surajpole, Udaipur (Raj.) - 313001. Ph. No.: 0294-2417697

F. No. DEE/MPUAT/Estt./2025/3523 Dated: 10.10.2025

WALK IN INTERVIEW

A walk in interview to engage contractual Senior Research Fellow (SRF) in the project mentioned below, will be held at Directorate of Extension Education, Udaipur on 28.10.2025 at 11.30 AM. The engagement shall be purely on contractual basis and can be terminated at any time without any notice.

Name of project and place of working	No. of post	Emolument per month (Rs.)	Qualification
National Innovations in Climate Resilient Agriculture (NICRA) at KVK, Bhilwara	01	37000/- + HRA as per rules	M.Sc. Agriculture

Special conditions:
1. Candidate should have experience in Agriculture field
2. Knowledge of computer application in data analysis/documentation

Note: (1) No TA/DA shall be admissible for attending interview. (2) Right of engagement is reserved with the undersigned. (3) Candidates should bring a singed copy of bio-data, original certificates along with self attested photocopies and latest photograph. (4) Age: Minimum 21 years and maximum 45 years for women and 40 years for men.

Director Extension Education

कार्यालय नगरपालिका भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

दूरभाष सं. 02957